



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2893 वर्ष 2026

देवी दयाल शुक्ला

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : धीरज सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याची वर्तमान में जिला पूर्ति अधिकारी, अमेठी के कार्यालय में पूर्ति निरीक्षक के पद पर पदस्थापित है और वह निकटवर्ती जिले गोरखपुर में स्थानांतरण की मांग करता है। इस प्रकार, इस न्यायालय को इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।
3. उक्त स्थिति का सामना करते हुए, रिट याची के विद्वान अधिवक्ता मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तदनुसार, मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर रिट याचिका खारिज की जाती है।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।